संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांकः- 20/01/2026

क्रमांक 502467/2026/टीसी/49/धार/उपां/नग्रानि/2025 भोपाल, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट पीथमपुर विकास योजना 2035 में उपांतरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण प्रश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम चिराखान तहसील देपालपुर व जिला इंदौर	170/2	58.454	58.454	वन, कृषि एवं मार्ग (प्रस्तावित चौडाई 30.00 मीटर)	औद्योगिक एवं मार्ग (प्रस्तावित चौडाई 30.00 मीटर)
	कुल रकबा		58.454	58.454		

शर्त :-

1. आवेदित स्थल की पश्चिम सीमा से लगकर 18.00 मीटर चौडा वर्तमान मार्ग है जो कि पीथमपुर नगर की ओर जाता है। इस वर्तमान मार्ग की विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित चौडाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 15.00 मीटर - 15.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
2. आवेदित भूमि में से प्राकृतिक नाला गुजरता है । अतः नाले की भूमि को सुरक्षित रखते हुए नाले के किनारे से दोनों ओर म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम, 50 (ख) अनुसार 9.00 - 9.00 मीटर भूमि खुली रखना आवश्यक होगा जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा ।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी । 4. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय धार म.प्र. तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति / सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, धार म.प्र. को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

G24887/25